आवश्यक समय व जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 8/12/17 को पत्रावली पेश हो।

ह०

8/12/17 — पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील अपी० / उत्तरदातागण उपस्थित। वकील उत्तरदातागण अपीलार्थी सं० 1 व 2 के अधिवक्तागण ने उप० आकर प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत न करते हुए सीधे ही बहस करनी चाही है। उभय पक्ष की बहस श्रवण की गई। बहस के दौरान विद्वान अभिभाषकगण अपीलार्थी व उत्तरदातागण न० 1 व 2 तीनों ने ही प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर पुनः जांच किये जाने हेतु प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया। एवं 9/7/12 का आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की।

P.T.O

भापा | 76 | 28.00 | लखासिंह पुत्र बाघसिंह

हेमीसिंह

सोमदी कँवर

लखासिंह

अपील पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीन रेकोर्ड तहसीलदार फतेहगढ़ की पत्रावली का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9/7/12 के द्वारा सहखातेदारों के मध्य विभाजन का आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण का कथन है कि इस विभाजन में उनकी सहमति नहीं थी एवं विभाजन मौके के अनुसार भी नहीं है। प्रकरण में अपीलार्थीगण ने अपील को मियाद में शामिल मानने के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण उत्तरदातागण की अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुए अपील मियाद में शुमार की जाती है। एवं ऊपर वर्णित परिस्थितियों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ द्वारा लखसिंह वगैरहा अपीलार्थीगण व प्रभुसिंह वगैरहा उत्तरदातागण के विभाजन प्रकरण में पारित आदेश क्रमांक राजस्व/12/1579 दिनांक 9/7/12 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थीगण व उत्तरदातागण को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में नये सिरे से निर्णय विधि के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए करे।

घोषित

अपीलार्थी व उत्तरदातागण को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार फतेहगढ़ के न्यायालय में दिनांक 05/01/2018 को उपस्थित हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील बेद भण्डार में जमा हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तत्काल लौटाई जावे।

आदेश आज दिनांक 6/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से अधिप्रमाणित किया गया।

ह0/
6/12/17
(कन्हैयालाल स्वामी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर (A.D.M.)
जैसलमेर

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर